# RNA : Real News Analysis

# DAILY CURRENT AFFAIRS

**UPSC, STATE PCS, SSC, RAILWAY, BANKING, DEFENCE,**
**और अन्य सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण**

**DATE**
**सितंबर**
**26**
**2025**

Key Point

1. National News
2. International News
3. Govt. Mission, Apps
4. Awards & Honours
5. Sports News
6. Economic News
7. Newly Appointment
8. Defence News
9. Important Days
10. Technology News
11. Obituary News
12. Books & Authors

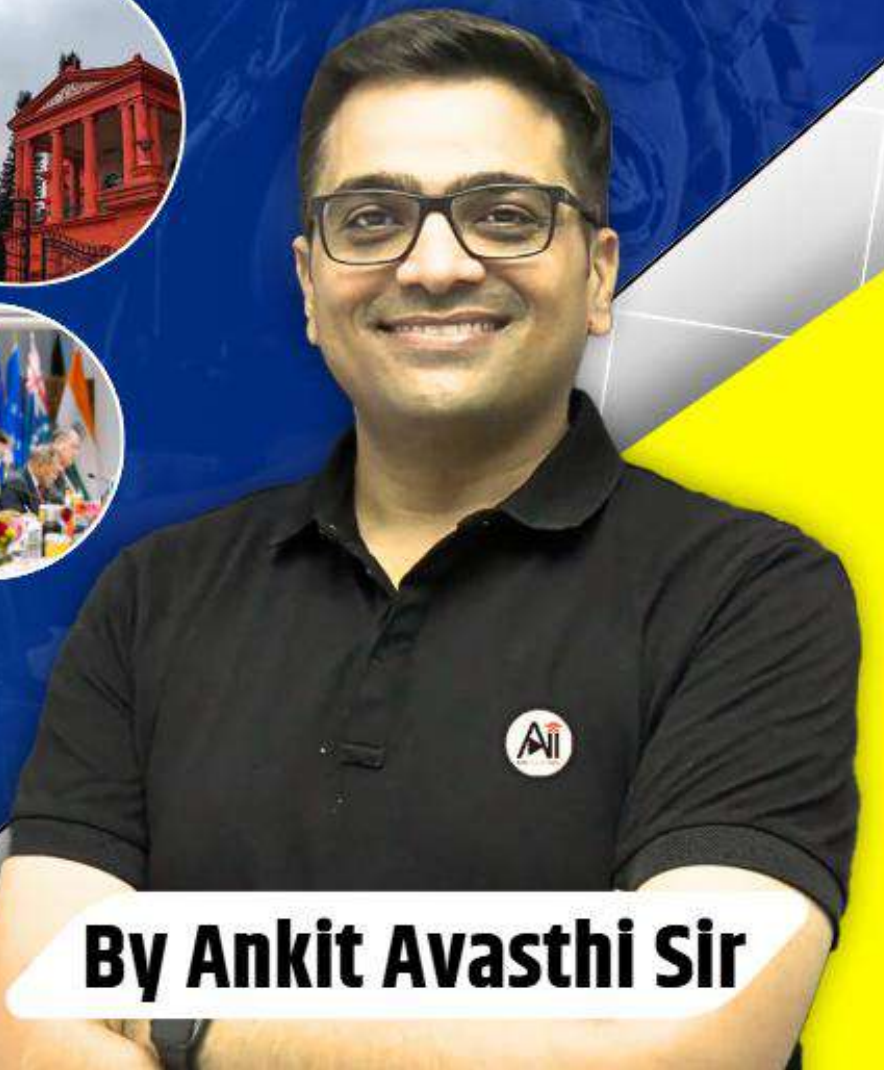

**By Ankit Avasthi Sir**

# SST-भारत वैश्विक संलयन दौड़ में भारत के प्रवेश का प्रतीक है / SST-Bharat Marks India's Entry into the Global Fusion Race

**संदर्भ:**

गांधीनगर स्थित इंस्टिट्यूट फॉर प्लाज़्मा रिसर्च (IPR) के शोधकर्ताओं ने भारत को फ्यूजन पावर हासिल करने का रोडमैप तैयार किया है। इसके तहत देश का पहला फ्यूजन बिजली जनरेटर **स्टेडी-स्टेट सुपरकंडक्टिंग टोकामाक-भारत (SST-Bharat)** विकसित करने की योजना है, जो इनपुट से 5 गुना अधिक पावर उत्पन्न करेगा।

- यह एक फ्यूज़न-फिशन हाइब्रिड रिएक्टर होगा, जिसमें कुल 130 मेगावॉट में से 100 मेगावॉट ऊर्जा फिशन से मिलेगी।
- इसकी अनुमानित लागत लगभग 25,000 करोड़ रुपये बताई गई है।

**भारत का पहला फ्यूज़न बिजली जनरेटर – SST-Bharat:**

- शोधकर्ता Steady-state Superconducting Tokamak-Bharat (SST-Bharat) विकसित करने की योजना बना रहे हैं।
- यह भारत का पहला फ्यूज़न बिजली जनरेटर होगा, जिसकी ऊर्जा उत्पादन क्षमता इनपुट से 5 गुना होगी।
- यह एक फ्यूज़न-फिशन हाइब्रिड रिएक्टर होगा, जिसमें कुल 130 मेगावाट (MW) में से 100 MW ऊर्जा फिशन से मिलेगी।
- अनुमानित निर्माण लागत: **₹25,000 करोड़**।
- लक्ष्य: 2060 तक 250 MW का डेमोंस्ट्रेशन रिएक्टर तैयार करना, जिसका आउटपुट-इनपुट अनुपात (Q) **20** होगा।

**नाभिकीय ऊर्जा (Nuclear Energy) क्या है?**

- नाभिकीय ऊर्जा वह ऊर्जा है, जो नाभिकीय अभिक्रियाओं (Nuclear Reactions) के दौरान निकलती है।
- यह दो प्रकार से प्राप्त होती है:
  1. **फिशन:** भारी परमाणु नाभिक (जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम) को तोड़कर छोटे नाभिक बनाए जाते हैं, जिससे ऊर्जा निकलती है।
     - यही प्रक्रिया **नाभिकीय बिजली संयंत्रों** (Nuclear Power Plants) में बिजली बनाने के लिए उपयोग होती है।
  2. **फ्यूज़न (Fusion):** हल्के परमाणु नाभिक आपस में मिलकर भारी नाभिक बनाते हैं और ऊर्जा मुक्त करते हैं।

**नाभिकीय संलयन (Nuclear Fusion) की प्रक्रिया:**

- यह वही प्रक्रिया है जो **सूर्य और अन्य तारों** को ऊर्जा देती है।
- इसमें दो हल्के परमाणु नाभिक आपस में मिलकर भारी नाभिक बनाते हैं और बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है।
- सबसे आम फ्यूज़न अभिक्रिया में **हाइड्रोजन के समस्थानिक** – ड्यूटेरियम (Deuterium) और ट्रिटियम (Tritium) शामिल होते हैं।
- इनके संलयन से हीलियम और एक न्यूट्रॉन बनता है तथा बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है।

**फ्यूज़न ऊर्जा का महत्व:**

1. **स्वच्छ ऊर्जा स्रोत (Clean Source of Energy):**
   - नाभिकीय फ्यूज़न, फिशन की तरह, कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य ग्रीनहाउस गैसें वातावरण में नहीं छोड़ता।
2. **उच्च ऊर्जा दक्षता (High Energy Efficiency):**
   - फ्यूज़न, फिशन की तुलना में प्रति किलोग्राम ईंधन लगभग **4 गुना अधिक ऊर्जा** उत्पन्न करता है।
   - कोयला या तेल जलाने की तुलना में लगभग **40 लाख गुना अधिक ऊर्जा** देता है।
   - इसलिए यह पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से कहीं अधिक कुशल है।
3. **सुरक्षित उपयोग (Safer to Use):**
   - भविष्य के फ्यूज़न रिएक्टर स्वभाव से ही सुरक्षित होंगे।
   - इनमें उच्च स्तर का या लंबे समय तक रहने वाला नाभिकीय कचरा (Nuclear Waste) नहीं बनेगा।
   - साथ ही, चूंकि फ्यूज़न प्रक्रिया को शुरू करना और बनाए रखना कठिन है, इसलिए **अनियंत्रित प्रतिक्रिया या मेल्टडाउन का कोई खतरा नहीं**।
4. **प्रचुर और सुलभ ईंधन आपूर्ति (Abundant & Accessible Fuel Supply):**
   - फ्यूज़न ईंधन प्रचुर मात्रा में और आसानी से उपलब्ध है।
   - **ड्यूटेरियम (Deuterium):** समुद्री जल से कम लागत में निकाला जा सकता है।
   - **ट्रिटियम (Tritium):** फ्यूज़न से उत्पन्न न्यूट्रॉनों और प्राकृतिक रूप से उपलब्ध **लिथियम** की क्रिया से तैयार किया जा सकता है।

# लद्दाख विरोध प्रदर्शन / Ladakh Protests

**संदर्भ:**

लेह, लद्दाख में **राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची में शामिल किए जाने** की मांग को लेकर हुए हिंसक प्रदर्शनों में अब तक 4 लोगों की मौत और 80 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इसी बीच, बढ़ते तनाव और अशांति के बीच सामाजिक कार्यकर्ता **सोनम वांगचुक** ने अपना 15 दिन का अनशन समाप्त कर दिया।

**मुद्दे की पृष्ठभूमि (Background of the Issue):**

- **2019 पुनर्गठन:** अनुच्छेद 370 हटाने के बाद, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ। इसके तहत पुराने राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बाँटा गया –
    1. जम्मू और कश्मीर (विधानसभा सहित)
    2. लद्दाख (बिना विधानसभा)
- **प्रारंभिक प्रतिक्रिया:** जहाँ जम्मू-कश्मीर में अशांति देखी गई, वहीं लद्दाख ने UT दर्जा मिलने का स्वागत किया। लोगों को उम्मीद थी कि इससे उन्हें जम्मू-कश्मीर से अलग सीधा प्रतिनिधित्व और अधिक स्वायत्तता मिलेगी।

**लद्दाख आंदोलन की मुख्य माँगें (Core Demands of the Ladakh Protest):**

1. **राज्य का दर्जा (Statehood):**
    - लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए।
    - इससे विधायी शक्तियाँ (Legislative Powers) और आत्म-शासन (Self-Governance) बहाल हो सकेगा।
2. **छठी अनुसूची (Sixth Schedule):**
    - लद्दाख को **छठी अनुसूची** में शामिल किया जाए ताकि जनजातीय पहचान और अधिकार सुरक्षित रह सकें।
    - उल्लेखनीय है लद्दाख की 90% से अधिक आबादी अनुसूचित जनजातियों से आती है।
3. **रोजगार:** बढ़ती बेरोजगारी से निपटने के लिए एक अलग लोक सेवा आयोग की स्थापना की माँग।
4. **राजनीतिक प्रतिनिधित्व (Representation):**
    - वर्तमान में लद्दाख के पास केवल 1 लोकसभा सीट है।
    - माँग: लेह और कारगिल के लिए दो लोकसभा सीटें और केंद्र में अधिक आवाज़ उठाने के लिए एक राज्यसभा सीट।

**राज्य का दर्जा देने के पक्ष में तर्क:**

1. **लोकतांत्रिक कमी:** वर्तमान में लद्दाखियों पर एलजी और नौकरशाह शासन करते हैं, न कि चुने हुए प्रतिनिधि।
    - इससे जनता को **स्वशासन और जवाबदेही** से वंचित होना पड़ता है।
2. **सांस्कृतिक सुरक्षा:** राज्य का दर्जा और **छठी अनुसूची** में शामिल होने से जमीन, रोजगार और संस्कृति की सुरक्षा होगी।
    - यह जरूरी है क्योंकि लद्दाख की **90% आबादी जनजातीय (tribal)** है।
3. **भूराजनीतिक स्थिरता (Geopolitical Stability)**
    - शासन में स्थानीय लोगों की भागीदारी से विश्वास बढ़ेगा।
    - यह महत्वपूर्ण है क्योंकि लद्दाख की सीमाएँ **चीन (LAC)** और **पाकिस्तान (LoC)** से लगती हैं।
4. **युवाओं की आकांक्षाएँ (Youth Aspirations)**
    - स्थानीय भर्ती संस्थाओं से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
    - इससे शिक्षित युवाओं का **विस्थापन और अलगाव** रोका जा सकेगा।
5. **वादों की पूर्ति (Promise Fulfillment)**
    - **2019 में किए गए वादे** पूरे करने से लोकतांत्रिक विश्वसनीयता मजबूत होगी।
    - इससे केंद्र और लद्दाख के बीच भरोसा बढ़ेगा।

**राज्य का दर्जा देने के खिलाफ तर्क:**

1. **राष्ट्रीय सुरक्षा:** संवेदनशील सीमावर्ती इलाकों की वजह से प्रत्यक्ष केंद्रीय नियंत्रण जरूरी है।
2. **कम आबादी:** केवल लगभग 3 लाख की जनसंख्या होने से पूर्ण राज्य का दर्जा व्यावहारिक नहीं लगता।
3. **पहाड़ी परिषद पहले से मौजूद:** लेह और कारगिल की **हिल काउंसिल्स** पहले से ही स्थानीय स्वायत्तता प्रदान करती हैं।
4. **गुटबाजी का खतरा:** लेह और कारगिल की अलग-अलग माँगें शासन को अस्थिर कर सकती हैं।
5. **संसाधन निर्भरता:** लद्दाख का बजट और विकास **केंद्रीय सहायता** पर बहुत निर्भर है, जिससे आर्थिक आत्मनिर्भरता मुश्किल है।

**सरकार के प्रयास (Government Efforts So Far)**

- **उच्चस्तरीय समिति** गठित की गई है – LAB और KDA से संवाद के लिए।
- **एसटी आरक्षण** 45% से बढ़ाकर **84%** किया गया।
- हिल काउंसिल्स में **महिलाओं को एक-तिहाई आरक्षण** मिला।
- **भोटी और पुरगी** भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला।
- **1,800 पदों पर भर्ती प्रक्रिया** शुरू की गई।

# संयुक्त राष्ट्र महासभा / United Nations General Assembly

**संदर्भ:**

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने हाल ही में सोशल मीडिया पर साझा किया कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में उनकी सुरक्षा और भाषण को लेकर तीन बेहद शर्मनाक घटनाएं हुईं। उन्होंने दावा किया कि यह केवल सामान्य गड़बड़ी नहीं, बल्कि जानलेवा स्थिति पैदा कर सकती थी। ट्रम्प ने इन्हें साजिश करार दिया है।

**ट्रंप के साथ UN में क्या हुआ था?**

- एस्केलेटर का अचानक रुकना
- टेलीप्रॉम्प्टर का काम न करना
- सभागार में आवाज बंद

## संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के बारे में:

**परिचय:**

- संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) की स्थापना **1945 में UN चार्टर** के तहत हुई।
- यह संयुक्त राष्ट्र का मुख्य नीति-निर्माण निकाय है।
- पहला सत्र 10 जनवरी 1946 को 51 सदस्य देशों के साथ हुआ।
- मुख्यालय: न्यूयॉर्क (1951 से स्थायी मुख्यालय)

**गठन की पृष्ठभूमि:**

- लीग ऑफ नेशंस की असफलता के बाद UNGA की स्थापना हुई।
- उद्देश्य: वैश्विक शांति और सहयोग को बढ़ावा देना।

**लक्ष्य:**

- सभी सदस्य राष्ट्रों को **समान मंच** प्रदान करना।
- वैश्विक मुद्दों पर **सामूहिक चर्चा और समाधान**।

**संरचना (Structure of UNGA):**

- **सदस्य देश:** कुल 193, हर देश के पास एक वोट।
- **बैठक:** हर साल सितंबर में नियमित सत्र, ज़रूरत पड़ने पर विशेष सत्र।
- **अध्यक्षता:** हर साल पाँच भौगोलिक समूहों (अफ्रीकी, एशियाई, पूर्वी यूरोपीय, लैटिन अमेरिकी व कैरेबियाई, पश्चिमी यूरोपीय व अन्य) में बारी-बारी से।
- **पर्यवेक्षक (Observers):** वेटिकन (Holy See), फिलिस्तीन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन – भाग लेते हैं लेकिन वोट नहीं कर सकते।
- **निर्णय प्रक्रिया:**
  - शांति, सुरक्षा, UNSC व ECOSOC चुनाव, बजट आदि पर – **दो-तिहाई बहुमत**।
  - अन्य मुद्दों पर – **सरल बहुमत**।
- **सीट व्यवस्था:** वर्णक्रमानुसार (alphabetically), पहली पंक्तियाँ राष्ट्राध्यक्षों के लिए।

**सहायक निकाय (Subsidiary Organs)**

1. **सामान्य समिति:** अध्यक्ष, 21 उपाध्यक्ष और 6 मुख्य समितियों के अध्यक्ष।
   - सत्र के कामकाज का संगठन करती है।
2. **छः मुख्य समितियाँ (Six Main Committees):**
   - निरस्त्रीकरण व अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा
   - आर्थिक व वित्तीय
   - सामाजिक, मानवीय व सांस्कृतिक
   - विशेष राजनीतिक व उपनिवेशवाद-उन्मूलन
   - प्रशासनिक व बजटीय
   - कानूनी

**कार्य एवं शक्तियाँ (Functions and Powers):**

1. **नीति निर्माण व सिफारिशें:** शांति, सुरक्षा, मानवाधिकार और वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा।
2. **बजट (Budget Approval):** UN का बजट पारित करना व सदस्य देशों से योगदान तय करना।
3. **नियुक्तियाँ (Appointment Powers):**
   - UNSC के अस्थायी सदस्य चुनना।
   - महासचिव की नियुक्ति।
   - अन्य UN निकायों जैसे Human Rights Council, ICJ के सदस्य चुनना।
4. **सहायक निकाय:** विभिन्न समितियाँ व आयोग बनाकर रिपोर्ट तैयार करना।
5. **रिपोर्ट पर विचार:** अन्य UN अंगों से आई रिपोर्टों की समीक्षा।
6. **विशेष सत्र:** आपात वैश्विक मुद्दों पर विशेष बैठक।
7. **सामूहिक शांति उपाय:** Uniting for Peace Resolution, 1950 के तहत, अगर UNSC वीटो से अटक जाए तो UNGA सिफारिश कर सकता है।
8. **समान प्रतिनिधित्व:** हर सदस्य राष्ट्र का एक वोट, चाहे देश बड़ा हो या छोटा।

# कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक्स कॉर्प की सेंसरशिप याचिका खारिज की / Karnataka HC Rejects X Corp's Censorship Plea

**संदर्भ:**

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म **'X' (पूर्व में ट्विटर)** की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने सरकार के कंटेंट हटाने के आदेश जारी करने के अधिकार को चुनौती दी थी। कोर्ट के इस फैसले से सरकार की ऑनलाइन सामग्री पर नियंत्रण की शक्तियों को मजबूती मिली है।

## डिजिटल/वाणिज्यिक भाषण और Section 79(3)(b) मामला:

### पृष्ठभूमि (Background):

- कंपनी ने तर्क दिया कि Information Technology Act, 2000 के Section 79(3)(b) के तहत मिली शक्तियाँ अवैधानिक हैं।
- कंपनी के अनुसार केवल Section 69A और IT (Procedure and Safeguards for Blocking Access of Information by Public) Rules, 2009 ही वैध प्रक्रिया प्रदान करते हैं।
- **Section 79(3)(b):**
  - किसी इंटरमीडियरी को "safe harbor" सुरक्षा से बाहर करता है।
  - यदि उसे **अवैध सामग्री** के बारे में वास्तविक जानकारी या सरकारी नोटिफिकेशन प्राप्त होता है और उसने सामग्री हटाई नहीं, तो वह दायित्वपूर्ण होता है।

### अदालत का निर्णय (Court Ruling):

- सूचना और संचार को कभी भी बिना नियंत्रण नहीं छोड़ा गया, चाहे माध्यम कोई भी हो।
- अमेरिकी free speech jurisprudence को भारतीय संविधान में लागू करने से सावधान किया।
- अवैध या गैरकानूनी सामग्री को वैध भाषण के समान सुरक्षा नहीं है।

## डिजिटल/वाणिज्यिक भाषण को नियंत्रित करने की आवश्यकता:

1. **संवेदनशील समूहों की सुरक्षा (Protecting Vulnerable Groups):**
   - विकलांग, अल्पसंख्यक या महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियाँ कलंक बढ़ाती हैं।
   - नियमन सार्वजनिक संवाद में सम्मान और समावेशिता सुनिश्चित कर सकता है।
2. **इन्फ्लुएंसर्स की जवाबदेही (Accountability of Influencers):**
   - इन्फ्लुएंसर्स और कॉमेडियन मॉनेटाइज्ड प्लेटफॉर्म से कमाते हैं।
   - उनका भाषण सार्वजनिक और वाणिज्यिक है, केवल निजी नहीं।
   - दिशानिर्देश उनकी पहुँच और प्रभाव के अनुसार जिम्मेदारी तय कर सकते हैं।
3. **हानि और सामाजिक अव्यवस्था रोकना:**
   - फेक न्यूज़, घृणास्पद भाषण और अपमानजनक मजाक हिंसा या सामाजिक अशांति को बढ़ा सकते हैं।
   - **नियंत्रित सीमा** से ऐसा फैलाव रोका जा सकता है।
4. **वैश्विक रुझानों के अनुरूप:**
   - EU का **Digital Services Act** और UK का **Online Safety Act** पहले से ऑनलाइन हानिकारक सामग्री को नियंत्रित करता है।
   - भारत में भी जब भाषण **लाखों इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को प्रभावित** करता है, तो इसे अनियंत्रित नहीं छोड़ा जा सकता।

## अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता:

### संवैधानिक आधार:

- **अनुच्छेद 19(1)(a):** भारत के संविधान के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
- **अनुच्छेद 19(2):** इस स्वतंत्रता पर संगठित और तर्कसंगत प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था।

### भाषण पर राज्य द्वारा लगाए जा सकने वाले प्रतिबंध:

1. राज्य की सुरक्षा (Security of the State)
2. सार्वजनिक व्यवस्था (Public Order)
3. शिष्टाचार और नैतिकता (Decency or Morality)
4. अदालत की अवमानना (Contempt of Court)
5. मानहानि (Defamation)
6. अपराध की उकसावा (Incitement to Offense)

## फोरम फॉर इंडिया-पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन / FIPIC

**संदर्भ:**
विदेश मंत्री **डॉ. एस. जयशंकर** ने न्यूयॉर्क में **फोरम फॉर इंडिया-पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन** (**FIPIC**) के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी की। इस बैठक का उद्देश्य भारत और प्रशांत द्वीप देशों के बीच सहयोग और साझेदारी को मजबूत करना है।

**FIPIC (Forum for India–Pacific Islands Cooperation):**

**परिचय:**
- **स्थापना:** 2014 में भारत द्वारा।
- उद्देश्य: भारत और **14 प्रशांत द्वीपीय देशों (Pacific Island Countries – PICs)** के बीच सहयोग बढ़ाना।

**सदस्य देश (Member Countries):**
1. कुक द्वीप, फिजी, किरीबाती, मार्शल द्वीप, माइक्रोनेशिया, नाउरु, न्युए, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, समोआ, सोलोमन द्वीप, टोंगा, टुवालु, वनुअतु

**उद्देश्य और क्षेत्र (Objectives and Areas of Cooperation):**
- राजनीति
- अर्थव्यवस्था और व्यापार
- निवेश
- संस्कृति
- स्वास्थ्य और शिक्षा
- बुनियादी ढांचा
- आपदा प्रबंधन

**भारत के लिए महत्व (Significance for India):**
- South-South Cooperation को बढ़ावा देना।
- वैश्विक दक्षिण (Global South) में भारत की विश्वसनीयता मजबूत करना।
- संयुक्त राष्ट्र और अन्य बहुपक्षीय मंचों में समर्थन सुरक्षित करना।

## ऑटिज़्म / Autism

**संदर्भ:**
अमेरिकी राष्ट्रपति **डोनाल्ड ट्रंप** ने हाल ही में दावा किया कि गर्भावस्था के दौरान **टायलोनॉल (पैरासिटामोल/एसेटामिनोफेन)** के इस्तेमाल से बच्चों में **ऑटिज़्म** का खतरा बढ़ सकता है। उन्होंने इसके उपयोग को सीमित करने की सलाह दी है।

**टाइलेनोल (Tylenol):**
- **ब्रांड नाम:** Acetaminophen या Paracetamol
- **उपयोग:** दर्द निवारक और बुखार घटाने वाला।

**उपयोग (Uses)**
- सिरदर्द, मांसपेशियों के दर्द, गठिया (Arthritis) में राहत।
- सर्दी और फ्लू के लक्षणों को कम करने में मदद।

**विशेषता (Feature)**
- **ओवर-द-काउंटर (Over-the-counter) दवा:** दवा बिना डॉक्टर की पर्ची के सीधे फ़ार्मेसी से खरीदी जा सकती है।

**ऑटिज़्म (Autism): Autism Spectrum Disorder (ASD):** जीवनभर रहने वाली न्यूरोडेवेलपमेंटल स्थिति।
- प्रभावित करता है कि व्यक्ति **कैसे संवाद करता है, सामाजिक रूप से कैसे जुड़ता है और व्यवहार करता है।**
- **"Spectrum"** शब्द विभिन्न लक्षणों और उनकी गंभीरता की व्यापक विविधता को दर्शाता है।

**मुख्य विशेषताएँ (Key Characteristics)**
1. सामाजिक संवाद और इंटरैक्शन में निरंतर कठिनाइयाँ।
2. सीमित और दोहराए जाने वाले व्यवहार या रुचियाँ।
3. संवेदनात्मक जानकारी (जैसे आवाज़, रोशनी, बनावट) को अलग ढंग से अनुभव करना; कुछ चीज़ें अत्यधिक परेशान कर सकती हैं।

GS FOUNDATION For
UPSC & STATE PSC
इतिहास
अर्थव्यवस्था
भूगोल
भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था
1500x4
₹6000/-
₹4500/-
रोज़ाना लाइव क्लासेस
साप्ताहिक टेस्ट
क्लास की पीडीएफ (हिंदी + अंग्रेज़ी में)
लाइव डाउट सेशन
रोज़ाना प्रैक्टिस प्रश्न
COURSE VALIDITY
1 YEAR

FUNDAMENTALS OF
STOCK MARKET
LEARN HOW TO TRADE
FOUNDATION COURSE
OF MUTUAL FUND
INVEST IN KNOWLEDGE GROW YOUR WEALTH
COMBO OFFERS
COURSE FEE
~~₹4000/-~~
OFFER PRICE
₹2800/-
Course Validity
1 YEAR
BBK
एक निवेश समझदारी से..

FUNDAMENTALS OF
STOCK MARKET
LEARN HOW TO TRADE
Course fee
₹1999/-
COURSE VALIDITY
1 YEAR
INVESTMENT की करो जीरो से शुरुवात
Baaten Bazar Ki

FOUNDATION COURSE OF
MUTUAL FUND
Invest in Knowledge
Grow Your Wealth
Course fee
₹1999/-
COURSE VALIDITY
1 YEAR
एक निवेश समझदारी से..

# PORTFOLIO BUILDING AND MANAGEMENT COURSE

## + (FUNDAMENTAL OF STOCK MARKET)

FREE

EMI AVAILABLE

- Long-Term Investing Foundations
- Principles of Value Investing and Stock
- Portfolio Construction Mastery
- Sectoral Investing
- Stock Picking Framework
- Active Portfolio Management Techniques
- Mega Cap vs Mid Cap Strategy

**SPECIAL BONUS**

**COURSE VALIDITY**
**1 YEAR**